प्रकरण संख्या 8/2019 ग्राम पंचायत बग्गड बनाम सोहनलाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.11.2019	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 अपीलान्ट व सरकार के विरूद्ध एक आवेदन अन्तर्गत धारा 251–ए प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बग्गड में प्रार्थी की खातेदारी की आराजी नंबर 3002/1 रकबा 5 बीघा स्थित है, जिसमें आने जाने का रास्ता विपक्षी की आराजी नंबर 3763/3002 रकबा 16 बीघा से है, जिसका प्रार्थी पीढ़ियों से उपयोग कर रहा है, किन्तु राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं है इस कारण विपक्षी उक्त रास्ता बन्द करने की धमकी देते हैं। अतः प्रार्थी को 30 फिट रास्ता दिलाया जावे। प्रार्थी नियमानुसार डी.एल.सी. दर से शुल्क राजकोष में जमा कराने को तैयार है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 25.02.2019 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 1 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 03.04.2019 को प्रस्तुत की गयी है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री किशनलाल शर्मा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 राज्य सरकार की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में ही वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया तथा मुख्य रूप से यह आपत्ति ली कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सुने उसकी भूमि से रास्ता देने में भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया है, जो प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध होने से अपास्त किया जावे। उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट के आधार पर रास्ते बाबत आदेश दिया है	

जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने सिर्फ दो पेशियों में अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 1 को बिना सुने मात्र रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी की बहस सुनकर अपीलान्ट/विपक्षी की खातेदारी भूमि से 4 बिस्वाा 11 बिश्वांसी रास्ता कायम किये जाने का आदेश दिया है, जो प्राकृतिक न्याय के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.02.2019 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उभयपक्षों को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर साक्ष्य सबूत के आधार पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 24.01.2020 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 25.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Jodhawat
Date: 2019.12.04 15:45:47 IST
Reason: SelfAttested
Location: